न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 61 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मानाराम पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.करनाराम पुत्र लुम्बाराम
2.देवाराम पुत्र लुम्बाराम
3.आम्बाराम पुत्र नारणाराम
4.सिगरती पत्नी नारणाराम
5.उमेदाराम पुत्र प्रहलादराम
6.रामचन्द्र पुत्र प्रहलादराम
उतरदाता संख्या 05 व 06 नाबालिग जरिये कु. वलिया माता मीरा पत्नी प्रहलाद
7.मीरा पत्नी प्रहलादराम
8.मोहनराम पुत्र हुकमाराम
9.अन्नी पत्नी हुकमाराम(फौत विलो)
10.तीजो पत्नी लुम्बाराम(फौत विलो)
11.तहसीलदार सिणधरी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 215 / 2017 बअनवान करना बनाम मानाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 21.06.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बाबुलाल विश्नोई रेस्पोडेंट की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 14.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2018 को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के एकतरफा आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट लोलावा में सुनवाई हेतु दिनांक 21.06.2018 को निहित की गई जिसका अपीलांटगण को किसी प्रकार की न्यायालय द्वारा सूचना नहीं दी गई जिससे अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति नहीं हो पाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना सुने ही एकतरफा सरसरी तोर पर आवेदन पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्टे कन्फार्म कर अपीलकर्ता के साथ भारी अन्याय किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की आड़ में उतरदातागण अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर अपना कब्जा जमाने पर आमदा हो रहे है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलकर्ता का ही कब्जा काश्त होने से स्थगन से भारी मानसिक व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आर्थिक क्षति होने की प्रबल संभावना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दुओं का विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु अपीलांटगण के विपरित किस प्रकार है आदेश में अंकित नहीं किया गया है। अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकतरफा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध जाकर पारित करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट लोलावा में सुनवाई हेतु दिनांक 21.06.2018 को निहित की गई जिसका अपीलांटगण को किसी प्रकार की न्यायालय द्वारा सूचना नहीं दी गई जिससे अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति नहीं हो पाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना सुने ही एकतरफा सरसरी तोर पर आवेदन पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्टे कन्फार्म कर अपीलकर्ता के साथ भारी अन्याय किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की आड़ में उतरदातागण अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर अपना कब्जा जमाने पर आमदा हो रहे है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलकर्ता का ही कब्जा काश्त होने से स्थगन से भारी मानसिक व आर्थिक क्षति होने की प्रबल संभावना है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा अभी भी विचाराधीन है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट की स्वर्जित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दुओं का विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु अपीलांटगण के विपरित किस प्रकार है आदेश में अंकित नहीं किया गया है। अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकतरफा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध जाकर पारित करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये :–

RRT 2004(2) Page 1059
RRT 2015(1) Page 726
RRT 2015(1) 633
RRT 2017(1) Page 259
RRT 2016-17(Supp.) Page 637
RRT 2004(2) Page 1045

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

RRT 2013-14(Supp.) Page 285
RRT 2006(2) Page 1410
RRT 2012(2) Page 1439
RRT 2014(1) Page 523
RRT 2016-17(Supp.) Page 566

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये गये बावजूद सूचना जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं हुऐ। अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का दौराने दावा बेचान कर दिया गया। अपीलांटगण द्वारा किये गये बेचान के बाद रेस्पोडेंट के कब्जे काश्त में दखलांदाजी कर रहे है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश को यथावत रखा जाता है।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अर्सा 04 दिन पूर्व जब उतरदातागण के द्वारा हमारे रहवासी ढाणी हटाने की धमकीयां देने व काश्त करने से मना करने पर अपीलांटगण द्वारा वकील से जानकारी ली जिसकी प्रतिलिपि दिनांक 09.10.2018 मिलने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

RRT 2012(1) Page 137
RRD 1998 Page 319
RRT 2017(2) Page 1104
RRT 2016(2) Page 1378
RRT 2011(2) Page 1350

अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपीलांट से व्यक्तिगत तामिल होने से प्रथम पेशी तारीख दिनांक 26.10.2017 को अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई के द्वारा अपीलांट के निर्देश पर उपस्थिति बाबत अण्डरटेकिंग ली गई जो लगातर चलती रही है। कैम्प कोर्ट लोलावा के बारे में भी हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट को सूचना दी गई परन्तु

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट लोक अदालत कैम्प कोर्ट दिनांक 21.06.2018 को तामिल के बावजूद जानबूझकर हाहिर नहीं हुआ। अपील पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस की फर्द अपीलांट स्वयं से दिनांक 25.10.2017 को तामिल की रिपोर्ट है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपीलांट द्वारा मामले को लंबा करने की नियत से जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी का दौराने दावा बेचान किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजी का अपीलांट द्वारा मौके एवं रेकर्ड की स्थिति में रदोबदल होने की पूरी आशंका है यदि वादग्रस्त आराजी का आगे से आगे बेचान हो जाता है तो रेस्पोडेंटगण के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। इस दृष्टि से मामला पृथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति रेस्पोडेंटगण के पक्ष में प्रतीत होते हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 215/2017 बअनवान करना बनाम मानाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 21.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

(नाथूसिंह सोढ़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner